न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर
पीठासीन अधिकारी – श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

दावा संख्या 58/2023

सजना देवी पत्नी पवन कुमार जाति माली निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर

–वादीया–

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र छिगनाराम
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र उदाराम
3. रामप्यारी पत्नि उदाराम
4. हरिराम पुत्र उदाराम
5. उप पंजीयक सीकर
6. तहसीलदार, तहसील सीकर
7. नगर परिषद, सीकर जरिये आयुक्त

–प्रतिवादीगण –

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

उपस्थित –वकील वादीगण– श्री महेश कुमार जांगिड़

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 – श्री राजेन्द्र कुमार सैनी

निर्णय

दिनांक : 28.08.2023

वकील वादीया ने एक दावा पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि वादीया के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खं. नं0 715 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम राधाकिशनुपरा में अवस्थित है। इसके अलावा वादीया व उसके पति अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 1468/721, 1469/721 एवं 721/1069 भी राधाकिशनपुरा में अवस्थित है। प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 717 व 720 भी ग्राम राधाकिशनपुरा में अवस्थित है। वादपत्र की मद संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों की सिंचाई ख0 नं0 718 गै0मू0 चाह से कदीम से होती चली आ रही है। कूवे पर आवागमन हेतु ख0 नं0 720 की दक्षिणी

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

सींव के अंदर से 20 फिट जगह ,खसरा नम्बर 1468/721, 1469/721 एवं 721/1069 की उत्तरी सींव के अंदर से 20 फिट जगर देकर अर्सा करीब 25 वर्ष पूर्व 40 फिट चौड़ा रास्ता कायम कर दिया थे जो खसरा नम्बर 720 व 721 की पश्चिमी सींव से चलकर ख0 नं0 718 कुवे पर से होकर प्रतिवादीगण व वादीया के उत्तर दिशा में अवस्थित आवासीय मकानों को चला जाता था। सेटलमेण्ट की कार्यवाही के बाद में रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं हो सका परन्तु मौके पर रास्ता आज भी चालू है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 716 व 719 में करीब 15 वर्ष पूर्व प्लाटिग की तो उक्त रास्ते से एक लिंक रास्ता उत्तर दिशा की ओर निकाल कर प्लाटींग कर दी थी। वर्तमान में कतिपय क्रेतागण के प्लॉटों के रास्ते उस रास्ते पर खुलते हैं। वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 717 व 720 में प्लॉटींग करवाना चालू कर दिया है। जिसके तहत पुखता रोड़ा बना कर प्रार्थीनी की भूमि खसरा नम्बर 715 में से जबरन रास्ते निकालते हुऐ पुरोहित की ढाणी से उदादास की ढाणी को जाने वाली सड़क पर मिलाना चाहते हैं। जिसका नक्शा बनाकर नगर परिषद सीकर में 90 ए करवाने हेतु प्रस्तुत कर दिया है। अगर प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 715 में से जबरन रास्ता कायम कर लेगें तो वादीया को असीम क्षति होगी। तदहेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषाधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वादिया के खसरा नम्बर 715 में से जबरन रास्ता कायम नहीं करें।

वाद प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये वकील उपस्थित रहे। वादी एवं प्रतिवादी संख्यचा 1 ता 4 ने राजीनामा प्रस्तुत किया । प्रतिवादी सख्या 5 ता 7 बावजूद विधिवत तामिल के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं रहने के कारण इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

वकील उभय पक्ष ने दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया । बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 के अनुसार खसरा नम्बर 715 की खातेदारी में वादिया का 4/15 हिस्सा दर्ज है। खसरा नम्बर 717 व 720 की खतोदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की खातेदारी में दर्ज है। शेष खसरा नम्बर की कोई जमाबंदी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 पाबन्द रहने हेतु सहमत है। वादिया ने अपना दावा खसरा नम्बर 715 में से जबरन रास्ता कायम करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने के लिये प्रस्तुत किया था। अब राजीनामा के अनुसार वादिया खसरा नम्बर 715 में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा रास्ते के लिये प्रदान कर रही हैं। इसलिये वादिया का दावा अब डिक्री

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

किये जाने का कोई कानूनन औचित्य नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार पक्षकारान पाबन्द रहने के लिये स्वतंत्र है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीया वादकारण समाप्त हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.8.23 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी- सीकर
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

दावा संख्या 58/2023

सजना देवी पत्नी पवन कुमार जाति माली निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर

–वादीया–

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र छिगनाराम
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र उदाराम
3. रामप्यारी पत्नि उदाराम
4. हरिराम पुत्र उदाराम
5. उप पंजीयक सीकर
6. तहसीलदार, तहसील सीकर
7. नगर परिषद, सीकर जरिये आयुक्त

–प्रतिवादीगण –

<u>वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट</u>

उपस्थित –वकील वादीगण– श्री महेश कुमार जांगिड़

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 – श्री राजेन्द्र कुमार सैनी

वादीया वादकारण समाप्त हो जाने के कारण खारिज किया जाता है।

(जय कौशिक)

उपखण्ड अधिकारी-सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
.... रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामिल			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 28.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज०)